राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–24/2024

पप्पु कुमार अन्य बनाम् उषा देवी।

यह वाद श्री पप्पु कुमार, पिता–श्री नन्दू प्रसाद, वार्ड संख्या–38, मुहल्ला–मथुरिया, कनुनिया गली, पोस्ट–बिहारशरीफ, थाना–लहेरी, जिला–नालन्दा तथा रवि कुमार, पिता–श्री सुरेश प्रसाद, मुहल्ला–मथुरिया,पोस्ट–बिहारशरीफ, थाना–लहेरी, जिला–नालन्दा द्वारा श्रीमती उषा देवी, पति–शिवशंकर प्रसाद, (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–38, नगर निगम बिहारशरीफ, नालन्दा) मुहल्ला–मथुरिया,पोस्ट–बिहारशरीफ, थाना–लहेरी, जिला–नालन्दा के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–38, नगर निगम बिहारशरीफ, नालन्दा के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी पप्पु कुमार एवं अन्य का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी उषा देवी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री अवधेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, नालन्दा को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के द्वारा अपने नामांकन–पत्र के बायोडाटा में कंडिका–08 में कुल 02(दो) पुत्री दर्शाया गया है, जिसमें से एक पुत्री का जन्म कंडिका–09 में अंकित किया गया है कि Cut of Date-04-04-2008 के उपरांत हुआ है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि वास्तव में प्रतिवादी के कुल 03 पुत्रियाँ हैं, नैना कुमारी, सोनाली कुमारी एवं मानवी सिंह। उनके द्वारा सोनाली कुमारी एवं मानवी सिंह को अपना संतान स्वीकार किया जाता है, जबकि नैना कुमारी को अपनी ननद का संतान बताया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त तीनों संतान प्रतिवादी के ही है।

अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा SECC-2011 (सामाजिक आर्थिक जनगणना–2011) के अभिलेख का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें श्रीमती उषा देवी, पति–शिव शंकर प्रसाद के कुल 02(दो) संतान **सोनाली कुमारी**(जन्म वर्ष–2000) एवं **नैना कुमारी** (जन्म वर्ष–2007) अंकित है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि **सोनाली कुमारी**, माता–श्रीमती उषा देवी, पिता–श्री शिवशंकर प्रसाद का जन्म प्रमाण–पत्र नगर परिषद् सिलाँव नालन्दा से निर्गत है, जिसमें उनका जन्मतिथि–06.03.2000 अंकित है।

इसी प्रकार **मानवी सिंह**, माता–श्रीमती उषा देवी, पिता–श्री शिवशंकर प्रसाद का जन्म प्रमाण–पत्र नगर निगम, बिहारशरीफ, नालन्दा से निर्गत है, जिसमें उनका जन्मतिथि–20.05.2016 अंकित है। इससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त तीनों बच्चियों के माता–पिता श्रीमती उषा देवी एवं शिवशंकर प्रसाद है।

उनके द्वारा आगे आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के द्वारा जिस संतान को अपना होने से इन्कार किया जा रहा है, वह वास्तव में अपनी बुआ अर्थात् प्रतिवादी की ननद के साथ रहती है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उस बच्ची के प्रतिपालक पिता एक सरकारी शिक्षक है, जिनका नाम श्री मनोज कुमार सिंह है, उनके द्वारा स्व–घोषणा कर बताया गया है कि नैना कुमारी के जैविक पिता श्री शिवशंकर प्रसाद है। उनको कोई संतान नहीं था, इस कारण से उनके द्वारा नैना कुमारी से मौखिक रूप से गोद ले लिया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि गोद के संबंध में आयोग का निर्णय स्पष्ट है कि दो से अधिक जीवित संतान होने की दशा में अपने संतान को किसी अन्य व्यक्ति के गोद देने के बावजूद निरर्हता समाप्त नहीं होती। आयोग के उक्त निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मान्यता भी प्रदान की गयी है।

अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि साक्ष्यों से प्रतिवादी की जालसाजी प्रमाणित हो चुकी है तथा यह सिद्ध हो चुका है कि उनके द्वारा तथ्यों को छुपाकर एवं मिथ्या शपथ–पत्र के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया है तथा विजय प्राप्त की गयी है। अतः इन्हें अविलम्ब पद से पदमुक्त किया जाना चाहिये।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के उक्त तर्कों का खण्डन किया गया तथा आयोग को बताया गया कि नैना कुमारी उनके मुवक्किल की संतान नहीं है, बल्कि उनके ननद की संतान है। नैना कुमारी के आधार कार्ड का अवलोकन कराया गया, जिसमें उनके पिता श्री मनोज कुमार सिंह अंकित है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि सुश्री नैना कुमारी के संबंध में नवादा जिला में स्थित D.A.V. School से उनके Academic Record मँगाया जाए, जिससे उनके माता–पिता के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकें। SECC-2011 (सामाजिक आर्थिक जनगणना–2011) के Report में नैना कुमारी के अंकित नाम उनके मुवक्किल के द्वारा नहीं कराया गया, बल्कि यह संबंधित जनगणना कर्मचारी का तथ्यात्मक भूल तथा लिपिकीय त्रुटि का परिणाम है। आगे उनके द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से उप विकास आयुक्त, नालन्दा के प्रतिवेदन के संबंध में कहा गया कि उक्त प्रतिवेदन से तीनों संतान का जन्मतिथि Verify नहीं होता है, जिससे यह मालूम किया जा सके कि उक्त सभी संतानों की जन्मतिथि वास्तव में क्या है ?

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दावा किया गया कि संतानों की संख्या मात्र से किसी व्यक्ति ये निरर्हित नहीं किया जा सकता, जबतक कोई Conclusive Proof यह सिद्ध कर सकें कि उनकी जन्मतिथि Cut of date-04-04-2008 के उपरांत की है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि वादी के साक्ष्यों से न तो यह प्रमाणित है कि सभी संतान उनके मुवक्किल के है और न ही यह प्रमाणित होता है कि उनमें से किसी की जन्मतिथि–04.04.2008 के उपरांत की है। आगे उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा का प्रतिवेदन भी Conclusive नहीं है, क्योंकि यह सभी संतानों के जन्मतिथि

को प्रमाणित नहीं करता। ऐसी स्थिति में Inconclusive प्रतिवेदन के आधार पर निरहर्ता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुकूल नहीं होगा।

प्रतिवादी के उक्त तर्कों का खण्डन वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के यह तर्क तथ्यों से परे है कि तीनों संतानों के संबंध में माता–पिता कौन है, यह ज्ञात नहीं है। अभिलेखीय साक्ष्यों एवं बिहार सरकार के सरकारी शिक्षक के लिखित स्व–घोषणा से यह प्रमाणित है कि नैना कुमारी, सोनाली कुमारी एवं मानवीं सिंह के माता श्रीमती उषा देवी एवं पिता शिवशंकर प्रसाद है। प्रतिवादी द्वारा स्वयं अपने शपथ–पत्र में घोषित किया गया है कि उनकी एक संतान की जन्मतिथि–04.04.2008 के उपरांत की है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि अंतिम संतान मानवी सिंह की जन्मतिथि–20.05.2016 है तथा इस संबंध में Conclusive Proof जन्म प्रमाण–पत्र उपलब्ध है।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–**841**/निर्वा0, दिनांक–**05.03.2021**, पत्रांक–**1938**/निर्वा0, दिनांक–**01.07.2024**, तथा पत्रांक–**2453**/निर्वा0, दिनांक–**11.11.2024** से उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–

"अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहारशरीफ विषयगत मामले में कार्यालय पत्रांक–141/निर्वा0, दिनांक–02.06.2023 से भी भवदीय को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि अंचलाधिकारी, बिहारशरीफ, कार्यालय पत्रांक–2033, दिनांक–30.05.2023 से प्रतिवेदित किया है कि संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा स्थानीय लोगो से पुछताछ के आधार पर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है, जिसमें अंकित है कि श्रीमती उषा देवी, पति–श्री शिवशंकर प्रसाद, मुहल्ला–मथुरिया, थाना–लहेरी, वार्ड संख्या–38, जिला–नालन्दा की तीन पुत्रियाँ है। साथ ही इसी परिवाद में उक्त नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ भी जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि श्रीमती उषा देवी, पति– श्री शिवशंकर प्रसाद की तीन पुत्रियाँ है– 1. सुश्री सोनाली कुमारी, 2. सुश्री नैना कुमारी एवं 3. सुश्री मानवीं सिंह। सुश्री सोनाली कुमारी, माता–श्रीमती उषा देवी, पिता–श्री शिवशंकर प्रसाद का जन्म प्रमाण–पत्र नगर पंचायत सिलाव से निर्गत है। सुश्री नैना कुमारी, माता–श्रीमती उषा देवी SECC-2011 **के शहरी प्रकाशन की सूची में अंकित है तथा सुश्री मानवी सिंह, माता–श्रीमती उषा देवी, पिता–श्री शिवशंकर प्रसाद का जन्म प्रमाण–पत्र नगर निगम, बिहारशरीफ, नालन्दा से निर्गत है।**

परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप कि श्रीमती उषा देवी, पति–श्री शिवशंकर प्रसाद के दो नहीं बल्कि तीन संतान है, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारशरीफ द्वारा पत्रांक–755, दिनांक–13.04.2023 से संयुक्त जाँच प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता, नालन्दा को प्रतिवेदित किया

गया है, जिसमें मंतव्य में उल्लेख है कि एक बच्ची अपने फुफा के यहाँ रहती है। इस संबंध में उक्त फुफा के निवास स्थल से इसकी जाँच कराना श्रेयस्कर होगा।

वार्ड पार्षद, श्रीमती उषा देवी के नवादा जिले स्थित तीसरी सुपुत्री की जाँच अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक–1051,गो0, दिनांक–04.09.2023 से जिला पदाधिकारी, नवादा से जाँच करायी गयी। जिला पदाधिकारी, नवादा कार्यालय पत्रांक–1605, दिनांक–05.10.2023 से निबंधित डाक से माध्यम से जाँच संबंधी प्रतिवेदन में अंकित है कि श्री मनोज कुमार सिंह, सहायक शिक्षक के पद पर मध्य विद्यालय, कम्भी, वारिसलीगंज में कार्यरत हैं। उनके द्वारा बताया गया कि सुश्री नैना कुमारी जब छः माह की थी, उसी समय से मेरे यहाँ रह रही है। सुश्री नैना कुमारी के माता–श्रीमती उषा देवी, पिता–श्री शिवशंकर प्रसाद, पता–मोहल्ला–मथुरिया, बिहारशरीफ, जिला–नालन्दा है। उनके द्वारा कहा गया कि सुश्री नैना कुमारी मेरे साला–सरहज की सुपुत्री है।''(पत्रांक–841/निर्वा0, दिनांक–05.03.2021)

''उक्त दोनों पक्षों से प्राप्त दस्तावेज/साक्ष्य/कथनों का सत्यापन एवं परिशीलन के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि प्रतिवादी की तीन पुत्री के संबंध में पूर्व में वरीय पदाधिकारी (उप विकास आयुक्त, नालन्दा) के स्तर से विस्तृत जाँच की गयी है। पुनः जाँच में पूर्व की जाँच का उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि कथित पुत्री नैना कुमारी का वर्तमान में आवासन नवादा जिला में फुफा (मनोज कुमार, सरकारी शिक्षक) के यहाँ हो रहा है। उनके दूरभाष संख्या–9939208451 पर संपर्क करने लगातार प्रयास किया गया, परन्तु उनके द्वारा कॉल रिसिव ही नहीं किया गया। तत्पश्चात् डी0आर0डी0ए0 आधार केन्द्र पर नैना कुमारी के नाम से निर्गत आधार की पुष्टि करने का प्रयास किया गया, परन्तु संबंधित दूरभाष संख्या से ओ0टी0पी0 उपलब्ध नहीं कराने के कारण सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकीं। विदित हो कि कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड में अंकित विवरणी की सुधार/संशोधित कराने के लिये स्वतंत्र है। अतएव आधार कार्ड के आधार पर नैना कुमारी के पिता का सत्यापन कराना यथोचित प्रतीत नहीं होता है। उप नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ के माध्यम से मानवी सिंह (जन्मतिथि–20.05.2016) का सत्यापन कर उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। पूर्व में वरीय पदाधिकारी की जाँच में संलग्न जिला पदाधिकारी, नवादा का प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सुश्री नैना कुमारी, जो भी मनोज कुमार सिंह, सहायक शिक्षक के यहाँ आवासित है, के पिता एवं माता क्रमशः शिवशंकर प्रसाद एवं श्रीमती उषा देवी, पता–मुहल्ला–मथुरिया, बिहारशरीफ, जिला–नालन्दा है। उक्त प्रतिवेदन स्वीकार योग्य है एवं उक्त आधार पर सुश्री नैना कुमारी का माता–पिता का सत्यापन किया जा सकता है। सुलभ प्रसंग हेतु जिला पदाधिकारी, नवादा का पत्रांक–1605, दिनांक–05.10.2023 है। मेडिकल जाँच के संबंध में सुविधा अनुपलब्ध रही। (पत्रांक–1938/ निर्वा0, दिनांक–01.07.2024)

निष्कर्षः– उभय पक्षों को सुनने एवं साक्ष्यों के अवलोकन/समीक्षा करने से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी श्रीमती उषा देवी, पता–मुहल्ला–मथुरिया, बिहारशरीफ, जिला–नालन्दा है।

अद्योहस्ताक्षरी के स्तर से अभिलेख/उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जाँच किया गया है। (पत्रांक–1938/ निर्वा0, दिनांक–01.07.2024)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा पत्रांक–2453/निर्वा0, दिनांक–11.11.2024 द्वारा श्री मनोज कुमार सिंह, पिता–स्व0 अश्श्रेवर प्रसाद सिंह, ग्राम–गोनी, पोस्ट–भदोखरा, थाना–मुफ्फसिल, जिला–नवादा के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, नवादा के सम्मुख किये गये लिखित स्व–घोषणा को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार द्वारा घोषित किया गया है कि नैना कुमारी उनकी जैविक संतान नहीं है और उन्होनें इसे मौखिक रूप से श्री शिवशंकर प्रसाद से गोद लिया है। **चूँकि श्री मनोज कुमार सिंह, बिहार सरकार के विद्यालय में कार्यरत एक सरकारी शिक्षक है तथा इनका स्व–घोषणा अनुमण्डल पदाधिकारी नवादा के सम्मुख हुआ है। अतः यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है।**

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा का प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–

i. ''आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती उषा देवी, पति–शिवशंकर प्रसाद, (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–38, नगर निगम बिहारशरीफ, नालन्दा) मुहल्ला–मथुरिया,पोस्ट–बिहारशरीफ, थाना–लहेरी, जिला–नालन्दा **द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर** वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–38, नगर **निगम बिहारशरीफ, जिला–नालन्दा के पद पर निर्वाचित हो गयी है।**

वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी उषा देवी को कुल तीन संतान है, जिसमें से एक संतान मानवी सिंह की जन्मतिथि–20.05.2016 है। दो संतानों के माता–पिता के रूप में स्वयं प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति है। उनके द्वारा स्वयं एक संतान की जन्मतिथि 04.04.2008 के उपरांत की शपथ–पत्र के साथ नामांकन–पत्र में स्वीकार की गयी है। अतः यहाँ निर्विवाद अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है तथा प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति भी उपलब्ध है कि एक संतान की जन्मतिथि 04.04.2008 के उपरांत है। इस कारण से प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि वाद के निष्पादन हेतु निर्विवाद साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण मामले का निष्पादन नहीं किया जा सकता।

वादी द्वारा दिये गये SECC-2011 के प्रकाशित सर्वेक्षण अभिलेख तथा श्री मनोज कुमार सिंह के स्वीकारोक्ति से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो चुका है कि नैना कुमारी प्रतिवादी श्रीमती उषा देवी एवं श्री शिवशंकर प्रसाद की जैविक संतान है। अर्थात् संतानों की संख्या

भी निर्विवाद साक्ष्यों से प्रमाणित है। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 (यथा संशोधित) की धारा–18(1)(m) के तहत निर्धारित निरर्हता के दोनों आयामों अर्थात् संतानों की संख्या तथा निर्विवाद रूप से उसमें से एक की जन्मतिथि Cut of date के उपरांत होने के कारण प्रतिवादी का तर्क एवं संदर्भित रजनी कुमारी वाद का न्याय–निर्णय विचाराधीन मामले में स्वीकार योग्य नहीं है।

आयोग वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों तथा तर्कों से सहमत है, क्योंकि उनके द्वारा दिये गये साक्ष्य जिला प्रशासन के सत्यापन में सही पाये गये है, जबकि प्रतिवादी द्वारा साक्ष्यों में परिवर्तन किया गया है तथा उन परिवर्तनों को जिला प्रशासन तथा आयोग से छिपाने का प्रयास भी किया गया है। यथा– उनके द्वारा अपने संतानों के आधार में जन्मतिथि, पिता आदि के नामों में परिवर्तन कब किया गया है, इसकी सूचना छिपायी गयी तथा सत्य के उद्घाटन में जिला प्रशासन से असहयोग किया गया है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–01(m) के तहत निर्धारित अयोग्यता एक प्रकार का चुनाव पूर्व तथा स्थाई (संतानों के जीवित रहने एवं प्रावधान के जारी रहने के शर्त्त के अधीन) स्थाई अयोग्यता है। अतः किसी दम्पति को 04.04.2008 के उपरांत ज्योहि दो से अधिक जीवित संतान की प्राप्ति होती है, वो दम्पति स्वयमेव (Atutomatically) बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के अधीन निर्वाचित होने हेतु अयोग्य हो जाता है, भले ही, वे अपनी संतान को किसी दूसरे व्यक्ति या संबंधी को गोद ही क्यों न दे दे। **स्थिति को स्पष्ट करने हेतु आयोग द्वारा पत्रांक–3502, दिनांक–02.09.2022 के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी को स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी, जिसके तहत बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–1(m) के निमित गोद देने के बावजूद संतान के बायोलोजिकल माता–पिता को ही उनका माता–पिता माना जाएगा और उनके बच्चो की संख्या में कोई कमी नहीं मानी जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति जिनके जीवित बच्चो की संख्या दो से अधिक हो (गोद दिए बच्चे सहित) चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएगे,** जो माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्विसदस्यीय पीठ द्वारा C.W.J.C. No. 14221/2022, में पारित न्याय निर्णय से भी सम्पुष्ट हुआ है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती उषा देवी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करती थी, इसके बावजूद वह गलत शपथ–पत्र के आधार पर नामांकन करने एवं इसके उपरांत वार्ड संख्या–38, नगर निगम बिहारशरीफ जिला–नालन्दा के वार्ड पार्षद के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रही।

अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथा संशोधित) की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती उषा देवी को बिहार नगरपालिका

अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सह–पठित धारा–18(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन तत्काल प्रभाव से अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–38, नगर निगम, बिहारशरीफ, जिला–नालन्दा के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड संख्या–38, नगर निगम, बिहारशरीफ, जिला–नालन्दा का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी, नालन्दा को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती उषा देवी के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने अर्थात् धारा–445 के उल्लंघन हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, नालन्दा के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
02.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
02.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–24/2024 2390 पटना, दिनांक– 2.6.25

प्रतिलिपि– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी